सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

आश्विन 13, मंगलवार, शाके 1943-अक्टूबर 05, 2021
Asvina 13, Tuesday, Saka 1943- October 05, 2021

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

संशोधित अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 05, 2021

संख्या एफ.15(36)पंरावि/विधि/न.पा.ग./ग्रा.पं./पुनर्गठन/2020/857:- विभागीय अधिसूचना क्रमांक 580 दिनांक 02.07.2021 में नगर पालिकाओं के गठन से आंशिक रूप से प्रभावित ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया जाकर, पुनर्गठित ग्राम पंचायतों में चुनाव करवाने के संबंध में उक्त अधिसूचना के बिन्दु संख्या 03 व 04 में निम्न निर्देश जारी किये गये थे:-

"3. अनुसूची के स्तम्भ संख्या 4 में यथावर्णित पंचायतों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाऐ जायेंगे ;

4. और यथोक्त आदेश से चुनाव के पश्चात वर्तमान में विद्यमान वे पंचायतें जो अनुसूची के स्तम्भ संख्या 2 में वर्णित है, उस तारीख से ही स्तम्भ 4 में वर्णित पंचायतों के स्वरूप में अपना कार्यकाल प्रारम्भ करेगी ।"

लेकिन उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित पुनर्गठित ग्राम पंचायतों के चुनाव वर्ष 2020 में सम्पन्न हो जाने के कारण एवं इनका कार्यकाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 E(1) के अनुसार शेष रहने से, इन ग्राम पंचायतों के चुनाव करवाने के संबंध में उक्त अधिसूचना के बिन्दु संख्या 03 व 04 को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम जिला	पंचायत समिति का नाम	पुनर्गठित ग्राम पंचायत का नाम
1	2	3	4
1	करौली	1.सपोटरा	1.गोठरा
2	कोटा	1.सुल्तानपुर	1.पडासलिया 2.खेडलीतॅवरान 3.किशोरपुरा
3	धौलपुर	1.बसेडी	1.बरई
4	अलवर	1.रामगढ	1.ललावण्डी 2.खालसा नगर

			3.खानपुरकलां
5	**बारां**	**1.अटरू**	**1.मेरमाचाह** **2.बरलां**

शेष अधिसूचना यथावत रहेगी ।

आज्ञा से,
पी.सी.किशन,
शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।